ASSOCIATION FOR RURAL PLANNING AND ACTION

Child Protection Policy

⚠️ Disclaimer

Unauthorized use, reproduction, or distribution of this organization's logo, documents, policies, images, or any other visual or textual content is strictly prohibited. Such misuse constitutes a violation under the Copyright Act, 1957 and may result in legal action.

All materials on this website are the intellectual property of the organization and are intended solely for informational and non-commercial use.

बाल संरक्षण नीति

परिचय –

बच्चे किसी भी राष्ट्र के बराबर के नागरिक होते है। उनकी रक्षा करना उस राष्ट्र की जिम्मेदारी है। **यू०एन० (यूनाइटेड नेशन)** बच्चों के अधिकार **(1989)** में बच्चों की सुरक्षा को मान्यता देते हुए **अनुच्छेद 19** में कहा है राज्य की सभी इकाईयों न्यायपालिका, कार्यपालिका, सामाजिक व लैंगिक शैक्षिक संस्थाएँ बच्चे को हर प्रकार के मानसिक, शाररिक, लैंगिक शोषण से बचाऐंगे, चाहे वह अपने अभिभावक माता पिता या किसी भी व्यक्ति के साथ हो राष्ट्रीय बाल नीति 2000 की धारा 22।

(1) हर बच्चे को बराबर के अधिकार है चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या किसी भी स्थान में पैदा हो. किसी भी धर्म का हो या किसी भी भाषा को बोलने वाला हो।

(2) हर बच्चे को सम्मानित जिन्दगी जीने का अधिकार है

(3) देखभाल और सुरक्षा, बच्चे के समग्र विकास के लिए जरूरी है जो उसे हर प्रकार के शोषण, हिंसा और बुरे प्रभाव से बचाता है।

नीति का उद्देश्यः–

इस नीति का उद्देश्य बाल संरक्षण पर जागरूकता लाना है और सुनिश्चित करना है कि बाल सुरक्षा अर्पण का प्रत्येक स्टेक होल्डर का मुद्दा बने, एक सामाजिक संस्था होने के नाते अर्पण कटिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चा किसी भी प्रकार के शोषण व अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगा। अर्पण बच्चों के चार अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से कटिबद्ध रहेगा।

1. जीवन जीने का अधिकार
2. विकास का अधिकार
3. सुरक्षा का अधिकार
4. प्रतिभागिता और शिक्षा का अधिकार

अर्पण कई मौकों पर अपने काम के दौरान बच्चों के साथ रूबरू होता है। कुछ मौके कार्यक्रम अर्पण गांव पर कई ऐसे कार्यक्रम करता है जहाँ पर विभिन्न स्तर के लोग जमा होते हैं। जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य से संम्बन्धित लोग युवा जनप्रतिनिधि इत्यादि। इन सब में बच्चे हमारे लक्ष्य केन्द्रित समूह होते है। हमारे प्रत्येक क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान बच्चों के साथ हमारा सम्पर्क होता है।

अभियान –

अर्पण अपने अभियानों में पोस्टर, पर्चे, आदि के द्वारा बच्चों के बारे में अभियान चलाता है।

अर्पण संस्था का बच्चों के साथ सम्पर्क आपदा के दौरान अर्पण प्रभावित बच्चों के लिए आवश्यकतानुसार सहयोग देता है।

अर्पण के कार्यकर्ता बच्चों के सभी अधिकारों का सम्मान करता है।

बाल संरक्षण –

हम ऐसे बच्चे को सुरक्षा देंगे, जिन्हें देखकर हमें अनुमानित हो की उसकी बाल्यावस्था अथवा बालपन खतरे में है।

ASSOCIATION FOR RURAL PLANNING & ACTION * ARPAN *

बच्चे का संरक्षण –

बच्चे के खतरों को कम करना व उन्हें सामाजिक, भावनात्मक असुरक्षा से बचाना।

यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा सामाजिक सुरक्षा के घेरे से बाहर न गिरे और यदि ऐसा होता है तो बच्चे को वापस देख–रेख व सुरक्षा के दायरे में लेकर आना।

यह विश्वास करना कि बच्चा अपनी सोच को व्यक्त कर सके व अपने लिए कोई निर्णय ले सके।

बच्चे के शोषण से आश्रय हर प्रकार का भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक शोषण अनदेखा व्यवहार, व्यावहारिक शोषण, जिसके द्वारा बच्चे के स्वास्थ्य उसका जीवन, विकास व सम्मान पर चोट पहुँचे। जैसे–बच्चे को बहला फुसलाकर या धमकाकर कराया गया कार्य भी शोषण है।

बच्चे का शारीरिक शोषण –

बच्चे का शारीरिक शोषण वह है जब वास्तविक रूप से बच्चे को शारीरिक चोट पहुंचायी जाती है। जो कि बच्चे के माता पिता या कोई भी व्यक्ति जो (विश्वास व सत्ता) के पद पर हो चाहे वह अकेला हो या फिर बार–बार इस घटना को कर रहा है। शारीरिक शोषण है।

बच्चे का भावनात्मक शोषण – बच्चे को सम्मान व भावनात्मक माहौल ना दिया जाना, भावनात्मक शोषण है, सहयोगात्मक वातावरण का न होना एक बच्चे पर भावनात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे कृत्य जो बच्चे के स्वास्थ्य मानसिक शारीरिक या उसके सामाजिक विकास को रोके। यह शोषण उसके अभिवावक माता पिता या उसका कोई भी अपना हो सकता है, जो बच्चे से जुड़ा हो। जैसे कि डराना धमकाना।

बच्चे का यौनिक शोषण –

किसी भी बच्चे का ऐसी लैंगिक गतिविधि करना जिसे बच्चा पूरी तरह न समझ व अपनी सहमति न दे सके, और जो हमारे सामाजिक दायरे व कानून के दायरे को प्रभावित करे। उल्लंघन करे लैंगिक अपराध वह गतिविधि है जो एक बच्चे और एक वयस्क के बीच में हो रहा है। या एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो जो उसके एक रिश्ते में हो। जो एक विश्वसनीय रिश्ता हो व ऐसा कृत्य जो दूसरे व्यक्ति को सन्तुष्ट करता हो।

1. बच्चे को गैरकानूनी लैंगिक गतिविधि में डालना

2. देह व्यापार

3. बच्चे का इस्तेमाल अश्लील चित्र फोटो वीडियों बनाने में करना

4. बच्चों को ऐसी गतिविधि में डालना जिससे किसी अन्य को धन का लाभ हो रहा है। बाल श्रम देह व्यापार

बच्चे को नजर अन्दाज करना –

बच्चे के विकास के लिए जो आवश्यक जरूरतें है।

जैसे– स्वास्थ्य, शिक्षा, भावनात्मक विकास पोषण आवास रहने के लिए साफ सुथरा माहौल आदि की अनदेखी करना या इन जरूरतों के लिए बच्चों पर खर्च न करना ।

ASSOCIATION FOR RURAL PLANNING & ACTION * ARPAN *

बाल सुरक्षा का उल्लंघन –

1– ऐसी कोई भी गतिविधि या व्यवहार जो बच्चे को शोषण के जोखिम में डाल दे।

2– ऐसा कोई भी कृत्य या व्यवहार जो बच्चे के शोषण के जोखिम को बढ़ा दे।

3– शोषित हो रहे बच्चे को अनदेखी करना तथा उचित कार्यवाही न करना।

4– बच्चों से सम्बन्धित अधिकारों तथा कर्तव्यों का पालन न करना।

बच्चों के अधिकारों को पहचानना – बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करना तथा उनको आगे बढ़ाना निर्वाहित करना इसके अन्तर्गत शोषण से मुक्ति, का अधिकार, जिसके तहत् अर्पण उन बच्चों के लिए कटिबद्ध है जो दिव्यांग हैं, और आपदा से प्रभावित स्थानों में असुरक्षित है, बाल सुरक्षा अर्पण के समग्र कार्य का हिस्सा है। जहाँ बच्चों को उनके अधिकार बताते है। बच्चे के शोषण के प्रति पूरी तरह से हम बच्चों के अधिकार जिनके लिए और जिनके साथ कार्य कर रहे हैं। पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। अर्पण किसी तरह का भी बाल शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जानबूझकर किसी भी प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को किसी भी प्रकार के जोखिम में नहीं डालेंगे।

संकेतावली द्वारा आचरण– समस्त कार्यकर्ता, वॉलेन्टियर, सन्दर्भ व्यक्ति और आगन्तुक इन बातों का अनुपालन करेगें।

- हम ऐसा वातावरण बनायेगें (चाहे शब्दों से / व्यवहार से) जिससे बच्चे का विकास हो। बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना, और सम्मान देना।
- बच्चों को उनकी स्थानीय संस्कृति के अनुरूप सम्मान देना और व्यवहार करना ।
- किसी भी बच्चे को (लक्ष्यगत) किसी भी कार्यकर्ता था वॉलेन्टियर के घर में न भेजना जब तक यह सुनिश्ति न हो जाए। कि बच्चे को सुरक्षा की आवश्यकता है।
- किसी भी परियोजना से सम्बन्धित बच्चे को अर्पण कार्यकर्ता के घर में ठहरने के लिए नहीं भेजगें।
- किसी भी बच्चे को अपने घर में घरेलू काम के लिए नहीं रखेगें व बच्चे द्वारा दी जा रही सेवाओं को भी स्वीकार नहीं करेगें। क्योंकि वह बालश्रम के अन्तर्गत आता है।
- अपने बच्चे की शादी कानून द्वारा की गयी आयु के अन्तर्गत करेंगे उससे पहले नहीं करेगें।
- अपने बच्चे को किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा से सम्बन्धित दण्ड नहीं देंगे। व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी प्रोजेक्ट वाले बच्चे के साथ समय नहीं बिताएगें टीम के एक दो लोंगों का होना अनिवार्य है।
- इनके अतिरिक्त काउन्सलर, टीचर, डॉक्टर, अकेला समय नहीं बिताएगे।
- बच्चे के साथ हमेशा बहुत ही धैर्य एवं शान्तरूप में संवाद करेंगे। तब भी यदि बच्चा अत्यधिक उकसाने वाली प्रवृत्ति का हो। तब भी हम उसके साथ धैर्यपूर्ण पेश आऐंगे।
- बच्चे के निजी अंगों को न छूना था किसी भी तरह से न छूना जिससे बच्चा असहज महसूस करें।
- कभी भी बच्चे को शाररिक रूप से मारना या शाररिक शोषण नहीं करेगें।
- बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का शाररिक / लैगिंग रिश्ता बनाना या ऐसा कोई भी रिश्ता जो उसका शोषण नहीं करेंगे।
- ऐसी कोई भी भाषा या सुझाव न देना जिससे बच्चे को खराब लगे / अपमानित महसूस करें।
- ऐसा कोई भी कार्य न करना जिससे बच्चे को शर्म अपमानित महसूस हो

ASSOCIATION FOR RURAL PLANNING & ACTION * ARPAN *

- हम किसी भी बच्चे के प्रति तथा बच्चों के समूह में बच्चे से किसी भी प्रकार का भेदभाय न करें।
- किसी भी बच्चे की फोटो, वीडियो, बनाना नहीं है। जब वह असहजता वाली स्थिति में हो। यदि बच्चे की फोटो लेनी आवश्यक है तो अभिभावक की इजाजत लेगें।

क्रियान्वयन – जागरूकता अर्पण अपने सहयोगियों के साथ हर स्थल पर बाल सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूकता करेगा अर्पण कार्यकर्ताओं के स्तर पर एवं वॉलेन्टियर के स्तर पर। कार्यकारिणी को खरीददारी करने वाले और अन्य।

जानकारियों का विस्तारण – संस्था बाल सुरक्षा की जानकारियों का और अधिक स्तर पर विस्तारीकरण करेगा।

अर्पण यह सुनिश्चित करेगा की बाल सुरक्षा नीति व कार्य की प्रक्रिया प्रत्येक परिस्थिति में सही हो।

रोकथाम व निवारण की प्रक्रिया

जागरूकता मूल्यांकन व निवारण की कमेटी

कमेटी संस्था के अन्तर्गत बाल सुरक्षा समिति बनायी जाएगी। जिसमें निर्देशक, समन्वयक व तीन अन्य स्टाफ कार्यकर्ता

इन सदस्यों का चयन सावधानी से किया जाएगा और सभी स्टेक होल्डर को जानकारी दी जाएगी।

कमेटी की भूमिका – बोर्ड के निदेशक को संस्तुतिया देगा,

बाल सुरक्षा के उल्लंघन की शिकायतों का रजिस्ट्रेशन होने के लिए कमेटी के सदस्य उपलब्ध रहेंगे।

कार्यकारिणी द्वारा कमेटी के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा।

कमेटी की जिम्मेदारी रहेगा/रहेगी कि वह बाल सुरक्षा के उल्लंघन की छानबीन व मूल्यांकन करेगी।

अर्पण के पूरे स्टाफ की चाइल्ड बाल सुरक्षा नीति के लिए जिम्मेदारी एवं अधिकार –

गतिविधि	कौन करेगा	कब करेगें
छानबीन कर रिपोर्ट बनाना	समस्त स्टॉफ	आवश्यकतानुसार
घटनाओं की जांच पडताल	समन्वय/निर्देशक	रिपोर्ट आने के 24 घन्टे के अन्तर्गत
घटना का पंजीकरण	सी०पी०सी०	जब रिपोर्ट प्राप्त होगा
घटनाओं रिपोर्ट के एवं पॉलिसी के नियमो की संकेतावली का उल्लंघन पर	सी०पी०सी०	त्रैमासिक
समस्त अर्पण स्टाफ को सी०पी०सी० पर ट्रेनिंग देगें	निदेशक	वार्षिक या आवश्यकतानुसार

ASSOCIATION FOR RURAL PLANNING & ACTION * ARPAN *

अस्वीकृत / शिकायत

संवेदनशील जानकारी के प्रति सचेत रहेगे व ऐसी शिकायतों को अपनी व अन्य बाल संरक्षण विभागों में जानकारी देगे। व स्वंय इसकी तहकीकात करेंगे।

संस्था को बच्चे के अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी व शक होने पर सी०पी०पी० को सूचित करेंगे।

सभी को निवारण की प्रकिया से अवगत कराना।

घटना को लिखना व उस पर समय समय पर मूल्यांकन।

अनुशासनात्मक कार्यवाही –(यदि इन कार्यों में लिप्त होंगे)

1. उसका कार्यक्षेत्र से निलम्बित किया जाएगा। कमेटी की जाँच होकर रिपोर्ट दायर की जाएगी। तब तक

2. यदि कमेटी कोई कानूनी कार्यवाही करने की बात करती है, तब संस्था उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी।

3. अनुशासनात्मक कार्यवाही में जिम्मेदार व्यक्ति बच्चे से सामूहिक रूप में मांफी मागेगा।

4. कोई भी संस्तुति सी०पी०सी० देगा, वह मान्य होगा।

यदि संस्था यह पाती है कि कोई भी स्टाफ या वॉलेन्टियर या अन्य सम्पर्क व्यक्ति इन कार्यों में लिप्त है या धोखे की शंका में है तो वह अर्पण को सूचित किया जाएगा, और अर्पण ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करेगा।

स्टाप को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह संवेदनशील हो और जिस क्षेत्र/इलाके में कार्य कर रहें है। उनके सास्कृतिक मूल्यों को सम्मान दें।

नीति का पुर्नवालोकन करना – इस नीति को बदलते समयानुसार हर तीन वर्ष में पुर्नवालोकन होगा ।

नीति हेतु संसाधन – संस्था नीति के क्रियान्वयन हेतु फन्ड उपलब्ध करायेगा ।

क.स.	नाम	हस्ताक्षर
01	रेनू ठाकुर	R. [signature]
02	गंगा बसेडा	Ganga
03	नेहा पाल	[signature]
04	प्रियंका	Priyanka
05	खद्योत कुमार ओझा	[signature]
06	महेश कोहली	[signature]

ASSOCIATION FOR RURAL PLANNING & ACTION
* ARPAN *

07	धर्मेन्द्र सिंह	[illegible]
08	मंगल ग्वाल	Mangal
09	पूजा धामी	पूजा
10	ज्योती पार्की	Jyoti Parky
11	पूजा देउपा	Pooja
12	दीपा देवी	[illegible]
13	रेनू आर्या	रेनू
14	नीतू	Neetu
15	संतोषी देवी	सन्तोषी देवी
16	बीना सौन	Beena

ASSOCIATION FOR RURAL PLANNING & ACTION
* ARPAN *